कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 खण्ड
लो0 नि0 वि0 धारचूला
(ग्वालगॉव, व्यूप्वॉइंट, तवाघाट रोड़ धारचूला)
Tele Phone No :- 05967-222008
Email ID :- eepmgsydharchula@rediffmail.com

पत्रांक 1134 / 1न.भू पी0एम0जी0एस0वाई0 2016–17, दिनांक 6 / 10 / 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घट्टाबगड़ से तांकुल मोटर मार्ग हेतु 2.056 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– अपर वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक– 2873/FP/UK/ROAD/9169/2015 Dated. 10/04/2015/

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। विधिवत् स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या बिन्दुवार निम्नलिखित है –

शर्त संख्या 1– के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रु0 **588016.00** (पॉच लाख अठ्ठासी हजार सोलह रुपये) मात्र की धनराशि वनविभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम रॉथी, पट्टी –रॉथी तहसील– धारचूला जिला पिथौरागढ़ की सिविल एवं सोयम वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 4.112 है0 वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिसकी खतौनी की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या 2– के अनुपालन में मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु रु0 **605000.00** (छः लाख पॉच हजार मात्र) जमा कर दी गयी है।

शर्त संख्या 3– के अनुपालन में रु0 **1844232.00** मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गयी है।

शर्त संख्या 4– के अनुपालन में वचनबद्वता प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है।

शर्त संख्या –5 के अनुपालन में देय धनराशियों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कारपोरेशन बैंक शाखा नई दिल्ली में यू0आर0आ0डी0ए0 द्वारा जमा करा दिया गया है।

शर्त संख्या 6 – के अनुपालन में भू–वैज्ञानिकों के सुझावों का अनुपालन किया गया है।

शर्त संख्या 7– के अनुपानलन में सभी आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र ऑनलाइन व हार्ड कापी में पूर्व में उपलब्ध करा दिये गये है।

शर्त संख्या 8– के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र, ऑनलाइन व हार्ड कापी में पूर्व में उपलब्ध करा दिये गये है।

क्रमशः पेज – 2

शर्त संख्या 9– के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, की सहमति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्व में ही दे दी गयी है।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन कर आख्या प्रस्तुत है, एवं अनुरोध है कि उक्त विषय के प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति देने की कृपा करें।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय,
06/10/12

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड
लो0नि0वि0 धारचूला

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग –4 उत्तराखण्ड देहरादून।
4. अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून।
6. जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड
लो0नि0वि0 धारचूला

Tankul

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date :

Agency Name.	PMGSY
Application No.	11391732015148
MoEF/SG File No.	1(50)/15
Location.	UTTARANCHAL
Address.	E.E. PMGSY P.W.D DHARCHULA,Pithoragarh
Amount(in Rs)	3037248/-

Amount in Words :Thirty Lakh Thirty-Seven Thousand Two Hundred and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1508911391732015148 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date :

Agency Name.	PMGSY
Application No.	11391732015148
MoEF/SG File No.	1(50)/15
Location.	UTTARANCHAL
Address:	E.E. PMGSY P.W.D DHARCHULA, Pithoragarh
Amount(in Rs)	3037248/-

Amount in Words :Thirty Lakh Thirty-Seven Thousand Two Hundred and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1508911391732015148 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

गैर ज0वि0 नकल खतौनी – ग्राम–रौंथी फसल– ग्राम–रौंथी पट्टी–

श्रेणी –9 (3)ख(2)झाड़ी

खाता नं0	नाम – खातेदार	जोतक का वर्ष	खेत नं0	क्षेत्रफल	लगान	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
357			2	10.160		श्रीमान जिलाधिकारी के पत्र सं0 – 1281 / सात 88 / 2014–15 दिनांक – 01.07.2015 एवं शासनादेश सं0–2173 / XVIII(II) / 2012 18 (120) / 2010 दिनांक 17 12.2012 के अनुसार (पोंडो–घटकुना मोटर मार्ग, घटियाबगड़–तांकुल मोटर मार्ग) 4.11 हे0 वनभूमि के बदले 8.220 हे0 भूमि खसरा नं0 – 3 मध्य 2.629 हे0 व खसरा नं0– 7 मध्य 5.591 हे0, कुल 8.220 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तानान्तण / नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
			3	25.083		
			7	7.831		
		क्रमशः				
			82	3.876		
			83	10.406		
			93	18.243		
			12	138.167	हेक्टर	

महोदय,

असल से नकल कर खतौनी नकल तैयार किया।

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र- [illegible]
तहसील [illegible]
जिला- [illegible]

संख्या: 142 /X-4-15/1(60)/2015

प्रेषक,

पी०के०पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक: 30 मार्च, 2015

विषय: जनपद–पिथौरागढ़ में घट्टाबगड़ –तांकुल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.056–है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2566/FP/UK/ROAD/9173/2015 दिनांक 16 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद पिथौरागढ़ (आपदाग्रस्त जिला श्रेणी सूची में निर्धारित) में घट्टाबगड़ –तांकुल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.056–है0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0/पी0एम0जी0एस0वाई0 विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0न0–11–09/98–एफ0 सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.112–है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित)जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नमान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–568 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
5. भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0– 25219 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं05–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की

गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन०पी०वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(पी०के०पात्रो)

अपर सचिव।

संख्याः 142 (1)/X-4–15/1(50)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ०आर०आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, ।
7. अधिशासी अभियंता, लो०नि०वि०/ पी०एम०जी०एस०वाई०, धारचूला, पिथौरागढ़।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)

उप सचिव।